

NFSA योजनान्तर्गत ग्राम स्तरीय जांच कमेटी की रिपोर्ट

महोदय,

प्रार्थी श्री पिता/पति/पत्नि श्री जाति
राशनकार्ड सं. जनाधार सं. निवासी ग्राम
..... ग्रा.प. तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी का खाद्य नागरिक एवं आपूर्ति
विभाग राजस्थान सरकार जयपुर के आदेश क्रमांक एफ 13(29)खा.वि./आवंटन /2024-02560 दिनांक 22.01.
2025 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार आवेदन का जांच कमेटी द्वारा भौतिक सत्यापन किया गया। आवेदक द्वारा
खाद्य सुरक्षा में समावेशन के बिन्दु संख्या में आवेदन किया है जिसके संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य के
रूप में प्रार्थी द्वारा (दस्तावेज का विवरण) पेश किया गया है/नहीं किया गया
है। जिसके आधार पर प्रार्थी समावेशन के बिन्दु संख्या की पात्रता की शर्तें पूर्ण करता है।

उक्त आवेदक की राज्य सरकार द्वारा निर्धारित निष्कासन श्रेणी (पात्र नहीं) की जांच भी की गई जो
निम्नानुसार है—

बिन्दु संख्या	अपात्रता का विवरण	हाँ/नहीं।
A	ऐसे परिवार जिसका कोई भी एक सदस्य आयकर दाता हो।	
B	ऐसे परिवार जिसका कोई भी एक सदस्य सरकारी/अर्द्धसरकारी/सवायत्तशासी संस्थाओं में नियमित अधिकारी/कर्मचारी हो अथवा 1 लाख रुपये वार्षिक से अधिक पेंशन प्राप्त करता हो।	
C	ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य के पास चार पहिया वाहन हो।(ट्रेक्टर एवं एक वाणिज्यिक वाहन को छोड़कर जो जिविकोपार्जन के उपयोग में आता हो)	
D	ऐसे परिवार जिसके सभी सदस्यों के स्वामित्व में कुल कृषि भूमि लघु कृषक हेतु निर्धारित सीमा से अधिक हो।	
E	ऐसे परिवार जिसके सभी सदस्यों की कुल आय एक लाख रुपये वार्षिक से अधिक हो।	
F	ऐसे परिवार जिसके पास ग्रामीण क्षेत्र में 2000 वर्गफीट से अधिक स्वयं के रिहायश हेतु निर्मित पक्का मकान हो।	

अतः उक्त सम्पूर्ण जांच उपरांत यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री
पुत्र/पुत्री /पत्नि श्री जाति निवासी ग्राम
..... ग्राम पंचायत तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी एवं उसके परिवार के अन्य
सदस्यों का नाम अन्य किसी राशन कार्ड एवं खाद्य सुरक्षा में सम्मिलित नहीं है।

अतः प्रार्थी का नाम खाद्य सुरक्षा सूची में जोड़ने/खारिज करने की अनुशंसा की जाती है।

दिनांक:

पटवारी

पटवार हल्का

सील

ग्राम विकास अधिकारी

ग्राम पंचायत

सील

बीएलओ

भाग सं.....

नाम.....

(नोट:— समस्त कॉलम की पूर्ति किया जाना आवश्यक है।)